



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 4418 / NR-4/10

भोपाल, दिनांक 3/04/11

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला: समस्त (म.प्र.)

विषय:- मनरेगा योजनान्तर्गत मोबाइल बैंक के माध्यम से मजदूरी भुगतान विषयक।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान में हो रहे बिलम्ब की समस्या के निराकरण हेतु जिलों द्वारा अकुशल श्रमिकों की मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मजदूरी भुगतान किया जा रहा है।

मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जॉबकार्डधारियों को की गई मजदूरी भुगतान की जानकारी निम्न प्रपत्र में 3 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र

क्र.	जिला	कब से लागू	बैंक का नाम	कुल लगाये गये वाहन	योजना कितने ब्लॉकों में लागू है	लाभांवित ग्राम पंचायते	कुल हितग्राही	वितरित मजदूरी राशि योजना प्रारंभ से अप्रैल 11 अतं तक (करोड़ में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(डॉ. राजीव सक्सेना)

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल